<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>10/08/2026</u>

<u>ईडी ने सब्यसाची दत्ता एवं अन्य के मामले में तलाशी अभियान चलाया</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सब्यसाची दत्ता एवं अन्य के मामले में उनके विरुद्ध जबरन वसूली के आरोपों के आधार पर दिनांक 31.07.2026 को कोलकाता तथा उसके आसपास (गुरुग्राम स्थित एक परिसर सहित) 15 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी कार्रवाई के अंतर्गत सब्यसाची दत्ता, पूर्व विधायक, टीएमसी के आवासीय परिसर; उनसे संबद्ध संस्थाओं के कार्यालय परिसरों; तथा उनसे और उनकी कंपनियों से संबद्ध व्यक्तियों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों को शामिल किया गया।

तलाशी कार्यवाही के दौरान, सब्यसाची दत्ता और उनके सहयोगियों द्वारा प्रिसीजन बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड, सॉफ्टलाइन मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और अवाम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड सहित शेल संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से धनराशि को अंतरित करते हुए, जबरन वसूली और अन्य अवैध गतिविधियों से उत्पन्न अपराध से अर्जित आय के चल एवं अचल संपत्तियों में विभिन्न निवेश के रूप में उपयोग से संबंधित विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज (जिनमें लेजर, डिजिटल उपकरण आदि शामिल हैं) बरामद कर जब्त किए गए। तलाशी कार्यवाही के दौरान, सब्यसाची दत्ता और उनके सहयोगियों से संबंधित लगभग 150 बैंक/डीमैट खातों को, जिनमें दिनांक 09.08.2026 तक न्यूनतम 13.9 करोड़ रुपये की शेष राशि थी, फ्रीज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, 40.50 लाख रुपये मूल्य की नकदी और 17,200 अमेरिकी डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई।

ईडी ने बिधाननगर पुलिस थाने (उत्तर) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दिनांक 23.06.2026 को ईसीआईआर दर्ज करते हुए सब्यसाची दत्ता एवं अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जांच शुरू की। उक्त प्राथमिकी में आरोप है कि बिधाननगर नगर निगम के पूर्व महापौर सब्यसाची दत्ता और उनके सहयोगियों ने अपने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए जबरन वसूली का गिरोह चलाया। धमकी, मारपीट और आपराधिक षड्यंत्र के माध्यम से उक्त समूह ने स्थानीय व्यापारियों से धनराशि की जबरन वसूली की तथा इस प्रकार प्राप्त धनराशि के एक हिस्से को सोना, सावधि जमा, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्तियों आदि जैसी परिसंपत्तियों में परिवर्तित कर दिया।

आगे की जांच जारी है।